न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 10/2022
GCMS Case No. 2022/46

सायल :– सरकार

बनाम

गैरसायलः–
श्री घीसूलाल पुत्र श्री नाथमल जाति जैन
निवासी नहर के पास घांचियों का बास सुमेरपुर
पुलिस थाना सुमेरपुर नगर जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल एवं गैर सायल अधिवक्ता फिरोज खान उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16.06.22

सायल की ओर से दिनांक 15.03.2022 को गैरसायल घीसुलाल पुत्र श्री नाथमल जाति जैन निवासी नहर के पास घांचियों का बास सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर नगर, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सुमेरपुर जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ इस्तगासा पेश करने तक कुल 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें गैर सायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु0न0	धारा	चालान नम्बर एवं दिनांक	निर्णय
01.	59/12.03-96	13 आरपीजीओ	31/15-03-96	04.09.1996 सजा
02.	362/26.10.12	13 आरपीजीओ	257/31-10-12	05.12.12. को सजा 100 रूपये जुर्माना
03.	445/14.12.12	13 आरपीजीओ	324/17-12-12	10.01.2013 को सजा 100 रूपये जुर्माना
04.	209/07.05.18	13 आरपीजीओ	82/17-05-18	23.05.2013 को सजा 100 रूपये जुर्माना
05.	87/12.02.21	13 आरपीजीओ	22/23-02-21	13.09.2021 को सजा 200 रूपये जुर्माना
06.	277/24.06.21	13 आरपीजीओ	177/29-06-21	13.12.2021 को सजा 100 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल घीसुलाल पुत्र श्री नाथमल जाति जैन निवासी नहर के पास घांचियों का बास सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर नगर, जिला पाली अवैध जुए के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी होने के उपरान्त जमानत पर छुटने पर पुनः जुआ खेलना व अन्य लोगो को भी जुआ खेलने की लत लग रही है। जिसमें एक को अनुचित लाभ एवं अन्य को अनुचित हानि हो रही है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगों का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सुमेरपुर, जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल जुए का आदी है जिससे आमजन पर दुष्प्रभाव पडता है जिसमें एक को अनुचित लाभ एवं अन्य को अनुचित हानि होती है। इसके कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल अधिवक्ता ने अपना लिखित जवाब पेश करते हुए कथन किया कि गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत समस्त प्रकरण झुठे है, केवल सन्देह के आधार पर गैर सायल पर समस्त प्रकरण दर्ज किये गये है। गैर सायल किसी प्रकार के जुऐ के धन्धे में लिप्त नही है एवं वर्तमान में वह आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वह किसी भी प्रकार के किसी प्रकार के जुए के धंधे में लिप्त नहीं है। गैर सायल को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन किया गया तो गैर सायल का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। अतः गैर सायल विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 177/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार गैरसायल के विरूद्ध इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/21 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2021 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार अन्य 04 मुकदमों में भी गैर सायल को दोष सिद्ध करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल घीसूलाल पुत्र श्री नाथमल जाति जैन निवासी नहर के पास घांचियों का बास सुमेरपुर पुलिस थाना सुमेरपुर नगर जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना साण्डेराव जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 01.07.22 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना साण्डेराव जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी साण्डेराव जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल घीसुलाल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली, गैरसायल घीसुलाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना साण्डेराव जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी साण्डेराव उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सुमेरपुर पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली एवं थानाधिकारी साण्डेराव जिला पाली को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली

निर्णय आज दिनांक 16.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट पाली राजस्थान

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट, पाली